



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 9151 सन् 2026

देवेन्द्र सिंह एवं एक अन्य .....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य .....प्रतिवादीगण

---

आवेदकगण के अधिवक्ता : राज कुमार धामा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

---

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आज आवेदकों की ओर से दाखिल अनुपूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान धारा 528 बी.एन.एस.एस. का आवेदन इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि शिकायत वाद संख्या 549 सन् 2022 (नेहा निषाद बनाम देवेंद्र सिंह), जो धारा 498ए, 323 भारतीय दंड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत थाना दारागंज, जनपद प्रयागराज से उत्पन्न है तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-18, इलाहाबाद के समक्ष लंबित है, में पारित दिनांक 07.02.2023 के समन आदेश को निरस्त किया जाए।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान शिकायत दुर्भावनापूर्ण मंशा से केवल आवेदकों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से दाखिल की गई है। आवेदक संख्या-1 का विवाह वर्ष 2017 में विपक्षी पक्ष संख्या-2 के साथ संपन्न हुआ था। आवेदक संख्या-2, विपक्षी पक्ष संख्या-2 की सास हैं। विवाह बिना दहेज के संपन्न हुआ था। शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि आवेदकों द्वारा विपक्षी पक्ष संख्या-2 से निरंतर धन/दहेज की मांग की जाती रही। जब दहेज की मांग पूरी नहीं की गई, तब आवेदकों द्वारा विपक्षी पक्ष संख्या-2 को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, तत्पश्चात वर्तमान शिकायत विपक्षी पक्ष संख्या-2 द्वारा आवेदकों एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध दर्ज कराई गई। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी पक्ष संख्या-2 का विवाह से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध था और इस तथ्य को छिपाया गया। वर्तमान शिकायत केवल आवेदकों पर दबाव बनाने एवं उन्हें आतंकित करने के उद्देश्य से दर्ज कराई गई है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने धारा 200 एवं 202 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन दर्ज करने के उपरांत दिनांक 07.02.2023 के आदेश द्वारा आवेदकों को तलब किया। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान ग्रहण करना एवं तलब किया जाना न्यायिक मस्तिष्क के अनुप्रयोग के बिना किया गया है और निरस्त किए जाने योग्य है। शिकायत में लगाए गए

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



आरोप तुच्छ एवं असत्य हैं। विद्वान मजिस्ट्रेट ने वर्तमान प्रकरण में मनमाने ढंग से आवेदकों को तलब किया है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक हरियाणा में निवास करते हैं तथा आवेदक संख्या-2 अत्यंत वृद्ध महिला हैं और आने की स्थिति में नहीं हैं।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि शिकायत की विषयवस्तु के अवलोकन से आवेदकों के विरुद्ध प्रथमदृष्टया अपराध बनता है।

6. याचिका में लिए गए आधारों से यह स्पष्ट होता है कि उनमें से अनेक विवादित तथ्य के प्रश्नों से संबंधित हैं। यह न्यायालय इस मत का है कि यह विधि द्वारा भली-भांति स्थापित है कि साक्ष्यों का मूल्यांकन करना विचारण न्यायालय का कार्य है। यह न्यायालय धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा अधिकार ग्रहण नहीं कर सकता तथा विधि द्वारा प्रदत्त विचारण की प्रक्रिया को समाप्त नहीं कर सकता। यह भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों की श्रृंखला में स्थापित किया गया है कि आवेदकों के विरुद्ध आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य है। धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत निहित शक्ति का प्रयोग विचारण-पूर्व अवस्था में सामान्य रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका प्रयोग संयमपूर्वक, केवल ऐसे उपयुक्त मामलों में किया जाना चाहिए, जहाँ यह स्पष्ट रूप से प्रतीत हो कि आपराधिक कार्यवाही के संस्थापन या उसके जारी रहने पर कोई विधिक बाधा है, अथवा जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या आरोप पत्र में लगाए गए आरोप तथा उनके समर्थन में आश्रित सामग्री को उनके प्रत्यक्ष मूल्य पर स्वीकार करते हुए और पूर्ण रूप से मान लेने पर

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



भी अभियुक्त के विरुद्ध किसी अपराध का प्रकटन नहीं होता है। विवादित तथ्यों के प्रश्न तथा अभियुक्त का प्रतिरक्षण इस विचारण-पूर्व अवस्था में विचारार्थ नहीं लिया जा सकता।

7. उपरोक्त के दृष्टिगत, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वादों आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, मणिक बी. बनाम कडापाला श्रेयस रेड्डी एवं अन्य, 2023 लाइव लॉ (एस.सी.) 642, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एस.सी.सी. (क्रि.) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एस.सी.सी. (क्रि.) 192 तथा अंततः जांडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सराफुल हक एवं अन्य (पैरा-10) 2005 एस.सी.सी. (क्रि.) 283 के प्रकाश में, उपर्युक्त वाद की कार्यवाही को निरस्त करने हेतु कोई आधार परिलक्षित नहीं होता है, जो इस न्यायालय को धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत निहित अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि उक्त कार्यवाही किसी भी प्रकार की अवैधता या त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।

8. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन विवादित तथ्य के प्रश्न हैं, जिनका परीक्षण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता। साथ ही, शिकायत की विषयवस्तु तथा धारा 200 एवं 202 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभिलिखित कथनों से आवेदकों के विरुद्ध प्रथमदृष्टया अपराध बनता है। शिकायत विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई है। विद्वान मजिस्ट्रेट को अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ भी नहीं पाया गया तथा उन्हें तलब नहीं किया गया।

9. इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अतः वर्तमान याचिका तदनुसार निरस्त की जाती है।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

24 मार्च, 2026

एस.के.डी.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।